बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक– 31-12-08

संख्या–9/विविध–14–71/2007 का0 13684 /बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली– 2006 के नियम –15 द्वारा प्रदत्त, शक्तियों के अधीन उक्त नियमावली के नियम 2(ज) एवं 13 के आलोक में सचिवालय लिपिकीय सेवा में वरीयता के अवधारण हेतु बिहार राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) निम्नांकित विनियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।:–**
   (i) यह विनियमावली बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा(सामान्य वरीयता सूची) विनियमावली 2008, कही जा सकेगी।
   (ii) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ । :–**
   इस विनियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–
   (i) 'नियमावली' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 तथा ;
   (ii) शब्दों और संदर्भो; जो इस विनियमावली में प्रयुक्त हुए हैं और जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा, जैसा कि नियमावली में निर्दिष्ट है।

3. **वरीयता सूची तैयार किया जाना। :–**

सचिवालय के सभी विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत इस सेवा के किसी भी कोटि के कार्मिकों, जिनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी है, की सापेक्षिक वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(क) निम्न वर्गीय लिपिक :–

सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक कोटि की पारस्परिक वरीयता नियमावली के नियम-11 के उपबंधों के अनुसार विभागवार अलग–अलग संबंधित विभागों के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ख) उच्चवर्गीय लिपिक :–

(i) नियमावली के नियम 12(3)के अधीन इस सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में स्वतः शामिल कर्मियों की पारस्परिक वरीयता प्रारंभिक नियमित नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगी।

(ii) नियमावली के नियम 12 (i) एवं (ii) के अधीन उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में प्रोन्नत कर्मियों की आपसी वरीयता इस कोटि में उनकी प्रोन्नति की तिथि के अनुसार होगी। यदि प्रोन्नति की तिथि समान हो तो वरीयता का निर्धारण प्राप्त अधिक वेतन, तत्पश्चात उच्चतर

4. सामान्य वरीयता सूची का संधारण : –

(i) इस सेवा की सामान्य वरीयता सूची का निर्माण एवं संधारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जायेगा और इसी के आधार पर उच्चतर पदों पर प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा।

(ii) इस सामान्य वरीयता सूची का समय समय पर पुनरीक्षण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–9/विविध–14–71/2007 का0....13684..... / पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–9/विविध–14–71/2007 का0.....13684...... / पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद/ राज्यपाल का सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।